आईसीडीएस मिशन की

मॉनिटरिंग-पुंनिरक्षण एंव मूल्यांकन

भाग 3

मातृ सुधा

हमसे मिलें @ www.matrisudha.org

अनुक्रमणिका

मॉनिटरिंग-पुंनिरक्षण एंव मूल्यांकन 2

पाँच टियर मानीटरिंग और पुनरीक्षण तंत्र 2

राष्ट्रीय आईसीडीएस मानीटरिंग और समीक्षा समिति (एनएलएमआरसी) 3

राज्य स्तरीय आईसीडीएस मानीटरिंग और समीक्षा समिति 4

ब्लॉक स्तरीय आईसीडीएस मानीटरिंग समिति 6

आंगनवाड़ी स्तरीय मानीटरण और सहयोग समिति (एएलएमएससी) 7

राज्य और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा आईसीडीएस ब्लॉकों और आंगनवाड़ी केन्द्रों के मानीटरिंग और पर्यवेक्षण दौरों के लिए जाँच–सूची। 10

12वीं योजना के दौरान निम्नलिखित नए पहल आरम्भ की जाएगी 11

मॉनिटरिंग-पुंनिरक्षण एंव मूल्यांकन

आईसीडीएस मिशन के तहत मानीटरण आंगनवाड़ी/ग्राम, खण्ड, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। प्रत्येक स्तर पर साक्ष्य आधारित मानीटरिंग के लिए मानक फारमेट और सेट ऑफ, इन पुट, आउट पुट और आउट कम संकेतक स्थापित किए जाएंगे।

सार्वजनिक अदायित्व और पारदर्शिता सुधार के लिए मानीटरण और बाल विकास परिणामों को बढ़ावा देने वाले सर्वोत्तम अनुपालन और नागरिक चार्टर, जैसे मौजूदा सरकारी पहल के साथ संगत चार मुख्य समुदाय आधारित तंत्रों की शुरुआत की जाएगी। ये तंत्र निम्न प्रकार हैं –

(i) सामूहिक पुनरीक्षण मिशन की शुरुआत (सीआईएम)

- वार्षिक आधार पर की जाएगी
- एनआईएचएम के साथ संयुक्त सामूहिक पुनरीक्षण मिशन किया जाएगा
- आईसीडीएस मिशन के कार्यक्रम डिजाइन और फीडबैक में वार्षिक मध्यकालिक सुधार का आधार उपलब्ध करवाएंगी
- महिला एवं बाल विकास क्षेत्र के साथ–साथ सभी स्तरों पर आईसीडीएस मिशन का प्रतिनिधित्व करे

(ii) जन सुनवाई

- जहां मानीटरण टीमें, जिनमें राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर (विभिन्न जिलों) के कर्मचारी और स्वैच्छिक कार्यवाही समूह के सदस्यों को शामिल किया गया होगा
- उन परिभाषित हॉट–स्पॉट/क्षेत्र का दौरा करेगी जहां से संतुलित और गंभीर अल्प पोषण की रिपोर्टें बार बार आ रही होगी
- सुधार की आवश्यकता के लिए किए जाने वाले उपायों का गुणात्मक आधार पर विश्लेषण करेंगी
- टीमें एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें इसकी सिफारिशें भी होगी और इसे जिला, राज्य और राष्ट्रीय आईसीडीएस मिशन को सौंपेगी
- संयुक्त एनआरएचएम सीआरएम के साथ जोड़ा जाएगा या आवश्यकता पर आधारित रूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रीय और राज्य आईसीडीएस मिशन द्वारा निर्धारित पोषण निगरानी आंकड़ों पर आधारित होगा

(iii) समुदायधारित प्रत्यायन प्रणाली

- यह सुनिश्चित करने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा कि विभिन्न स्तरों पर बाल देखभाल 10 सेवाओं की डिलीवरी के मानक गुणवता पूर्ण हैं
- इसमें स्वास्थ्य, पोषण और विकास परिणामों पर आधारित, जिला खण्ड, मण्डल कलस्टर/ग्राम स्तर पर आंगनवाड़ी केन्द्रों, स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को शामिल करते हुए सेवा डिलिवरी का श्रेणीकरण निहित होगा
- उच्च स्तर के कार्यनिष्पादक पंचायतें, जिला तथा राज्यों के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार की तर्ज पर समुदाय आधारित मान्यता और अवार्डों की शुरुआत की जाएगी

(iv) समुदाय प्रकटन और सार्वजनिक सूचना

- समुदाय स्तरीय संकेतकों को समुदाय चार्ट के माध्यम से ग्राम स्तरीय मार्ग पर लगाया जाएगा
- इस चार्ट को निर्धारित मासिक ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस पर अद्यतन किया जाएगा और इसे परिवार के पास रखे मातृ और शिशु संरक्षण कार्ड के आधार पर वैध बनाया जाएगा

पाँच टियर मानीटरिंग और पुनरीक्षण तंत्र

केन्द्रीय स्तर से आंगनवाड़ी स्तर तक पाँच टियर मानीटरिंग और पुनरीक्षण तंत्र की स्थापना की जाएगी। इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे।

i. राष्ट्रीय स्तरीय मानीटरिंग और पुनरीक्षण समिति
ii. राज्य स्तरीय मानीटरिंग और पुर्नरक्षण समिति
iii. जिला स्तरीय मानीटरिंग और पुर्नरक्षण समिति
iv. खण्ड स्तरीय मानीटरिंग समिति; और
v. आंगनवाड़ी स्तरीय मानीटरिंग और सहायक समिति

राष्ट्रीय आईसीडीएस मानीटरिंग और समीक्षा समिति (एनएलएमआरसी)

कार्यकारी सदस्य

सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय	अध्यक्ष
प्रधान, सलाहकार, म.व बा. वि., योजना आयोग	सदस्य
प्रधान, सलाहकार, म.व बा. वि., योजना आयोग	सदस्य
सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
सचिव, खाद्य विभाग	सदस्य
सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय	सदस्य
सचिव, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	सदस्य
सचिव, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग	सदस्य
सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	सदस्य
प्रत्येक क्षेत्र के किन्हीं 5 राज्यों के सचिव	सदस्य
अपर सचिव और वित्त सलाहकार, म. व बा. वि. मंत्रालय	सदस्य
निदेशक, निपसेड, नई दिल्ली	सदस्य
निदेशक, राष्ट्रीय अनुपोषण संस्थान, हैदराबाद	सदस्य
संयुक्त सचिव, (आईसीडीएस), म. व बा. वि. मंत्रालय	सदस्य
निदेशक (आईसीडीएस) म. व बा. वि. मंत्रालय	सदस्य–सचिव

टिप्पणी :–

i. बाल विकास/अनुपोषण/ईसीई के दो विशेषज्ञों और विकास भागीदारों के प्रतिनिधि विशेष आमंत्रिती के रूप में बैठक में बुलाए जा सकते हैं।

ii. समिति की बैठक छह माह के एक बार या अध्यक्ष के निर्देश पर जब अपेक्षित हो आयोजित की जाएगी।

भूमिकाएं:

राष्ट्रीय स्तर की समिति निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों की अनुवीक्षा और समीक्षा करेगी और समुचित कार्रवाई के लिए सिफारिशें करेगी :–

i. निम्नलिखित के संबंध में आईसीडीएस में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई समग्र प्रगतिः–

- आईसीडीएस का सर्वव्यापीकरण–परियोजनाओं/आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन की स्थिति
- राज्य वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (एपीआईपी) का कार्यान्वयन
- 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की अनुपोषण संबंधी स्थिति–तौल, वि. स्व. सं. प्रगति मानकों को लागू करना और संयुक्त माता और बच्चा संरक्षा कार्ड; कम वजन और अत्यधिक अवपोषित बच्चों के अनुपात में कमी आना
- स्कूल पूर्व शिक्षा का निष्पादन

ii. अन्य कार्यक्रमों के साथ कन्वर्जेंस और समन्वयनः–

- सूक्ष्म पोषक तत्वों की अनुपूर्ति और सबलीकरण अत्यधिक कुपोषित बच्चों का प्रबंधन, आंगनवाड़ी केन्द्रों अथवा वीएचएनडी में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की सुपुर्दगी – टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, वीएचएससी का कामकाज आदि से संबंधी स्वास्थ्य/एनआरएचएम मुद्दे
- पानी और स्वच्छता : पूर्ण स्वच्छता अभियान और राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन के साथ संकेन्द्रण के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्रों में पीने के पानी और सफाई सुविधा की व्यवस्था करना
- सर्व शिक्षा अभियान : प्राइमरी स्कूलों के साथ आंगनवाड़ी केन्द्रों का स्थान बनाना; आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्कूलपूर्व शिक्षा की व्यवस्था, सर्व शिक्षा अभियान को समर्थन आदि
- पंचायती राज संस्थाएं : आंगनवाड़ी केन्द्रों में सेवा की सुपुर्दगी की निगरानी

और समन्वयन में पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय का योगदान लेना

iii. अ.जा./अ.ज.जा. और अल्पसंख्यक सघन बस्तियों में राज्य/के.शा.प्र.–वार कवरेज की स्थिति और उनकी संख्या
iv. क्षेत्र स्तर पर जनशक्ति की रिक्तियां और उस पर राज्यों की कार्रवाई योजना
v. आंगनवाड़ी केन्द्रों को राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश–वार आवश्यक मदों की आपूर्ति की स्थिति – चिकित्सा और पीएसई किट, तौल यंत्र, संयुक्त माता–बच्चा सुरक्षा कार्ड, वि. स्वा. सं. प्रगति मानीटरण चार्ट, आदि
vi. आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण के लिए नरेगा, बहु–सैक्टरीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी); बीआरजीएफ, आईएडीपी, एमपीएलएडीएस आदि के साथ मिलकर निधि की उन्नोलन
vii. अनुपूरक आहार के लिए व्यवस्था की स्थिति, गेहूँ आधारित पोषण कार्यक्रम के तहत खाद्यन्नों को उठाने और जारी करने की स्थिति
viii. स्थानीय/समुदाय स्तर के अभिनव कार्यकलापों की पहचान, जिनसे परिणाम मिले हैं और उन्हें आगे बढ़ाने की संभावनाओं की तलाश करना
ix. आईसीडीएस पर आकलन/मूल्यांकन रिपोर्ट (यदि हो) के साथ एमडब्ल्यूसीडी/योजना आयोग आदि द्वारा किए गए क्षेत्र दौरों के रिपोर्टों की समीक्षा और उपचारात्मक कार्रवाईयों का सुझाव देना
x. वित्तीय प्रबंधन, धन आगम तंत्र, धन का उपयोग, अनुमानित आवश्यकता आदि

राज्य स्तरीय आईसीडीएस मानीटरिंग और समीक्षा समिति

कार्यकारिणी के सदस्य निम्नानुसार होंगे :–

मुख्य सचिव	अध्यक्ष
सचिव, योजना	सदस्य
सचिव, वित्त	सदस्य
सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	सदस्य
सचिव, ग्रामीण विकास	सदस्य
सचिव, पंचायती राज संस्थाए	सदस्य
सचिव, पेय जल आपूर्ति और स्वच्छता	सदस्य
सचिव, शिक्षा	सदस्य
सचिव, कृषि/उद्यम	सदस्य
सचिव, खाद्य	सदस्य
सचिव, म. व बा. वि. (प्रभारी आईसीडीएस)	सदस्य
तीन संसद सदस्य	सदस्य
पांच विधायक	सदस्य
राज्य मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	सदस्य
क्षेत्रीय निदेशक, निपसेड (संबंधित क्षेत्र)	सदस्य
खाद्य और अनुपोषण बोर्ड, राज्य/क्षेत्रीय कार्यालय	सदस्य
प्रधानाचार्य, माध्यमिक प्रशिक्षण केन्द्र	सदस्य
प्रधानाचार्य, आंगनवाड़ी कर्मी प्रशिक्षण केन्द्र	सदस्य
निदेशक, डब्ल्यूसीडी (प्रभारी आईसीडीएस)	सदस्य

राज्य/सं.शा.प्र. में संसद सदस्य और विधायक एक वर्ष के लिए बारी बारी से समिति के सदस्य होंगे और उनका चयन अधिक से अधिक संभव राजनैतिक दलों के प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाएगा।

टिप्पणी :

- ख्यातिलब्ध संस्थाओं और विकास भागीदारों जो राज्य में आईसीडीएस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं के विशेषज्ञों/प्रतिनिधियों को भी विशेष आमंत्रिती के रूप में बुलाया जा सकता है।
- समिति की बैठक छह माह में या अध्यक्ष के नोटिस पर आवश्यकतानुसार उससे पहले भी आयोजित की जाएगी तथापि मुख्य सचिव छह माह में एक बार बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

भूमिकाएं:–

राज्य स्तरीय समिति निम्नलिखित मुद्दों की अनुवीक्षा और समीक्षा करेगी और समुचित कार्रवाइयों के सुझाव देगी : –

i. निम्नलिखित की समग्र प्रगति :

- आईसीडीएस का सर्वव्यापीकरण
- आईसीडीएस में राज्य वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी) को तैयार करना और उसका कार्यान्वयन;
- छह वर्ष से कम के बच्चों की अनुपोषण स्थिति

ii. आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रदान की जा रही अनौपचारिक स्कूलपूर्व शिक्षा का निष्पादन; आंगनवाड़ी केन्द्रों में अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा का तौर–तरीका और उसमें बच्चों की भागीदारी; स्थानीय रूप से विकसित किए गए पढ़ाई–लिखाई और खेल की सामग्रियां, खिलौना बैंक और अन्य पहलें;

iii. आईसीडीएस में कम प्रदर्शन करने वाले जिलों की पहचान और उसके लिए जिम्मेदार कारक;

iv. संबंधित विभागों/कार्यक्रमों के साथ कन्वर्जेंसः–
   (i) स्वास्थ्य/एनआरएचएम : आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूर्ण टीकाकरण की स्थिति; प्रसव–पूर्व और स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था; रेफरल सेवाएं और आंगनवाड़ी केन्द्रों में सूक्ष्म पोषक तत्वों (विटामिन–ए, एएफए, डि–वार्मिंग टेबलेट) की आपूर्ति, वीएचएनडी, वीएचएससी कामकाज और आईवाईसीएफ का संवर्धन
   (ii) जल और स्वच्छता : पूर्ण स्वच्छता अभियान और राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन या राज्य सरकार की कोई अन्य स्कीम के साथ संकेन्द्रण करके आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की सुविधा का प्रावधान
   (iii) सर्व शिक्षा अभियान : आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्राइमरी स्कूलों के साथ या आस–पास बनाया जाना, आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्कूल–पूर्व शिक्षा का एकीकरण, सर्वशिक्षा अभियान से सहयोग आदि;
   (iv) पंचायती राज संस्थाएं : आंगनवाड़ी केन्द्रों में सेवा की सुपुर्दगी की निगरानी और उसके समन्वयन कार्य में पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय की भागीदारी प्राप्त करना,

v. सर्वे आबादी की सामान्य और खासतौर से अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यकों की बस्तियों/लाभग्राहियों का कवरेज।

vi. कार्यक्रम कार्यान्वयन से जुड़े अन्य मुद्दे और निम्नलिखित के संबंध में उन पर की गई कार्रवाई : –
   (i) आंगनवाड़ी केन्द्रों के कामकाज की नियमितता : समग्र रूप से और खासतौर से अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में
   (ii) आ. वा. कर्मी/पर्यवेक्षक/सीडीपीओ स्तर पर जनशक्ति रिक्तियां और उनके प्रशिक्षण की स्थिति।

जिला स्तरीय आईसीडीएस मानीटरिंग और समीक्षा समिति

कार्यकारी के सदस्यः–

जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उप आयुक्त	अध्यक्ष
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	उपाध्यक्ष
जिला विकास अधिकारी (सीईओ)	सदस्य
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	सदस्य
जिला योजना अधिकारी	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
जिला कृषि/उद्यान अधिकारी	सदस्य
जिला ग्रामीण विकास अधिकारी मनरेगा	सदस्य
कार्यकारी अभियंता, पीएचईडी	सदस्य
जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
जिले में संसद सदस्य	सदस्य
विधायक	सदस्य
प्रधानाचार्य, माध्यमिक स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (एमएलटीसी)	सदस्य
प्रधानाचार्य, एडब्ल्यूटीसी (कोई दो)	सदस्य
खाद्य और अनुपोषण बोर्ड की स्थानीय इकाइ	सदस्य
सीपीओ (कोई तीन)	सदस्य
जिला कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस)	सदस्य

भूमिकाएंः–

i. सभी स्वीकृत परियोजनाओं/आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन की स्थिति, जिलों में सभी बस्तियों/झुग्गियों का कवरेज, खासतौर से अ.जा./अ.ज.जा. और अल्पसंख्यक बहुल और दूरदराज के क्षेत्रों में

ii. लाभग्राहियों का कवरेज : आंगनवाड़ी केन्द्रों में अनुपूरक पोषाहार और स्कूलपूर्व शिक्षा के लिए सर्वे में शामिल आबादी के आधार पर पंजीकृत लाभग्राही और वास्तविक लाभग्राहियों का ब्लॉक–वार विश्लेषण

iii. आंगनवाड़ी केन्द्रों में अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति और गुणवत्ता में नियमितता:– राशन घर लाओ प्रावधान, कलेवा और माह के निर्धारित दोनों के लिए गरम पका भोजन और ब्लॉक–वार भोजन परोसने की कुशलता की तुलना

iv. तीन साल तक के और तीन से छह साल तक के बच्चों की अनुपोषण स्थिति :– तौल, वि. स्वा. सं. प्रगति मानक लागू करना और संयुक्त माता और बच्चा सुरक्षा कार्ड, हल्के और अत्यधिक अवपोषित बच्चों के अनुपात की ब्लॉक–वार तुलना, उनके समाधान के लिए किए जा रहे उपाय और छ माही आधार पर उनमें हुई प्रगति

v. आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रदान की जा रही अनौपचारिक स्कूलपूर्व शिक्षा का प्रदर्शन

vi. संबंधित विभागों/कार्यालयों के साथ समन्वयन और संकेन्द्रण

vii. कार्यक्रम कार्यान्वयन से जुड़े अन्य मुद्दे और उन पर की गई कार्रवाई

viii. वित्तीय मुद्दे :– धन की व्यवस्था और घटक–वार आवंटन की स्थिति और रिपोर्ट अवधि के दौरान व्यय और भारत सरकार द्वारा निर्धारित संगत वित्तीय मानदण्डों का अनुपालन

ix. शिकायत निवारण तंत्र :– आईसीडीएस सेवाओं जैसे आंगनवाड़ी केन्द्र के कामकाज में नियमितता, अनुपूरक पोषाहार की गुणवत्ता और आईसीडी कार्यकर्ताओं आदि के संबंध में व्यक्तियों, समुदाय, पंचायती राज संस्थाओं आदि से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई

x. आईईसी : आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थिति, आईसीडीएस के अधीन उपलब्ध सेवाएं, लाभग्राहियों की पात्रता, शिकायतनिवारण तंत्र आदि जैसे मुद्दों पर आईईसी कार्रवाई योजना तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना

ब्लॉक स्तरीय आईसीडीएस मानीटरिंग समिति

कार्यकारी सदस्य :–

उप संभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) खण्ड विकास अधिकारी/टीडीओ स्वास्थ्य के ब्लॉक प्रतिनिधि	अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य
(पीएचसी/सीएचसी के प्रभारी बीएमओ/एमओ)	
शिक्षा के ब्लॉक प्रतिनिधि (ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/स्कूल उप निरीक्षक/ सर्व शिक्षा अभियान प्रभारी)	सदस्य
कृषि/उद्यान के ब्लॉक विस्तार अधिकारी	सदस्य
ब्लॉक/नगर/तालुका/पंचायत के प्रतिनिधि	सदस्य
प्रधानाचार्य, आंगनवाड़ी, प्रशिक्षण केन्द्र'	सदस्य
स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों (2) के प्रतिनिधि	सदस्य
सीडीपीओ	संयोजक

भूमिकाएं:–

- निम्नलिखित के संबंध में कार्यान्वयन में समग्र प्रगति:–
  - तीन साल तक के बच्चों और उसे 6 साल तक के बच्चों की पोषण स्थिति – तौल, वि. स्वा. सं. प्रगति मानक और संयुक्त माता–बच्चा सुरक्षा कार्ड, हल्के और अत्यधिक अवपोषित बच्चों के अनुपात की सैक्टर वार तुलना; उनके समाधान के लिए किए जा रहे उपाय और छ माही आधार पर उसमें की जा रही प्रगति
  - आहार घर लाओ, कलेवा और रिपोर्ट माह के दौरान 21 दिनों से अधिक के लिए गर्म पका खाना परोसने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या
  - मासिक ग्राम और स्वास्थ्य पोषण दिवस आयोजित करने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों की

संख्या और आयोजन के दौरान किए जाने वाले कार्यकलाप

- संबंधित विभागों/कार्यक्रमों के साथ समन्वयन और संकेन्द्रण
- शिकायत निवारण तंत्र

आंगनवाड़ी स्तरीय मानीटरण और सहयोग समिति (एएलएमएससी)

सदस्यों की सूची

ग्राम पंचायत/वार्ड सदस्य (अधिमान्यतः महिला सदस्य)	अध्यक्ष
महिला मण्डल (बारी–बारी से दो सदस्य)	उपाध्यक्ष
आशा	सदस्य
समुदाय आधारित संगठन (2)	सदस्य
समुदाय (शिक्षक/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी/सदस्य आंगनवाड़ी केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों के माता–पिता) (3)	सदस्य
सबला कार्यक्रम (यदि कोई है) के अधीन सखी	सदस्य
आंगनवाड़ी कर्मी	संयोजक

भूमिकाएंः–

आंगनवाड़ी स्तरीय समिति आंगनवाड़ी केन्द्र में सेवाओं की सुपुर्दगी की समीक्षा करेगी और उसे बेहतर बनाने की कार्रवाई करेगी। सुझाव देगी। समिति निम्नलिखित भूमिकाएं निभाने के लिए अधिकृत है और उससे इसकी आशा की जाती हैः–

- आंगनवाड़ी केन्द्र के कामकाज की नियमितता की जांच करना
- सर्वे की गई आबादी के आधार पर सभी पात्र लाभग्राहियों का कवरेज सुनिश्चित करना
- सभी लाभग्राहियों के एक माह में कम से कम 21 दिन के लिए अनुपूरक आहार की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करना
- तीन साल तक के और तीन से छह साल तक के बच्चों की अनुपोषण स्थिति की समीक्षा करना, तौल, वि.स्वा. सं. नया प्रगति चार्ट और संयुक्त माता–बच्चा सुरक्षा कार्ड की उपलब्धता; हल्के एवं गंभीर रूप से अवपोषित बच्चों की संख्या और उनके संबंध में की गई कार्रवाई की समीक्षा

आईसीडीएस कार्यक्रम में मानीटरिंग और समीक्षा समितियों के गठन संबंधी मार्गनिर्देश

- अनौपचारिक स्कूल–पूर्व शिक्षा के कामकाज की समीक्षा – प्रतिदिन के कार्यकलाप, स्थानीय स्तर पर तैयार किए गए पढ़ाई–लिखाई और खेल–कूद के सामानों का प्रयोग, अभिभावकों की बैठकों का आयोजन आदि
- वीएचएससी बैठकों में आंगनवाड़ी कर्मियों की भागीदारी सुनिश्चित करना
- प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में मासिक ग्रामीण स्वास्थ्य और अनुपोषण दिवस पर (आंगनवाड़ी कर्मी, आशा और आंगनवाड़ी सदस्य के अलावा) कम से कम एक सदस्य की भागीदारी सुनिश्चित करना
- स्थापित मानदण्डों के आलोक में आंगनवाड़ी केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा करना (अवसंरचना जिसमें स्वच्छ जल, कार्यशील टॉयलट, खेल–कूद का स्थान, पीएसई/औषधि किट, खाना पकाने के लिए बरतन–भाण्डे आदि भी शामिल है)

आहार अनुपूरक और औषधि और प्रत्यक्ष भण्डार आदि की प्राप्ति और उपयोग की समीक्षा

- अपेक्षित मानदण्डों में किसी तरह की कमी के कारणों को जानना; या भण्डार में कमी को समझना
- ऐसी कमी आदि को लेखबद्ध करना और उसकी रिपोर्ट ब्लॉक स्तर की मानीटरण समिति और सीडीपीओ को भेजना
- आंगनवाड़ी केन्द्र या आंगनवाड़ी कर्मी से जुड़े किसी स्थानीय विवाद की सुनवाई करना और ऐसे विवादों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करना; अनसुलझे विवादों को ग्राम पंचायत या ब्लॉक स्तरीय मानीटरण समितियों के सामने पेश करवाना
- आंगनवाड़ी कर्मियों/आईसीडीएस पर्यवेक्षकों से सम्पर्क करना और आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रदान की जा रही सेवाओं में किसी तरह की कमी आदि के कारणों को समझना और सेवाओं को स्थानीय तौर पर मजबूत करने या उनकी कमियों को दूर करने के उपाय खोजना; अनसुलझे मुद्दों को औपचारिक तौर पर लेखबद्ध करना और उसकी रिपोर्ट

ब्लॉक स्तरीय मानीटरण समिति को भेजना और साथ ही उसकी एक प्रति आवश्यकतानुसार सीडीपीओ/एमओ/पीएचसी और ग्राम पंचायत को भेजना;

- सेवा की सुपुर्दगी को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक अन्य कोई विषय

मानीटरिंग और पर्यवेक्षण अनुसूची

क्र. सं.	अधिकारी की श्रेणी	अनुसूची/प्रस्तावित अपेक्षा
1.	पर्यवेक्षक (आईसीडीएस)	प्रत्येक महीने पर्यवेक्षक के कार्यक्षेत्र के अधीन कम से कम 50: आंगनवाड़ी केन्द्र।
2.	एएनएम/एलएचवी के साथ आईसीडीएस पर्यवेक्षकों के संयुक्त दौरे	कम से कम 2–3 आंगनवाड़ी केन्द्र प्रत्येक माह और क्रमांक 1 पर निर्दिष्ट दौरे भी इस श्रेणी में किए जा सकते हैं।
3.	सीडीपीओ/एसीडीपीओ	कम से कम 20 आंगनवाड़ी केन्द्र प्रत्येक माह बारी–बारी से और यह सुनिश्चित किया जाए कि एक वर्ष में 100: आंगनवाड़ी केन्द्र कवर किए जाएं।
4.	चिकित्सा अधिकारी के साथ सीडीपीओ/एसीडीपीओ द्वारा संयुक्त दौरे	कम से कम 5 आंगनवाड़ी केन्द्र प्रत्येक माह और इन्हें क्र.सं. 3 के अधीन उल्लिखित दौरों के हिस्से के रूप में किया जा सकता है।
5.	आईसीडीएस जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ/आरडीडी/ उप सीईओ)	प्रत्येक तिमाही में सभी ब्लॉक कवर किए जाएं। कम से कम 3 आंगनवाड़ी केन्द्र प्रत्येक ब्लॉक दौरे में शामिल किए जाएं। एक वर्ष में 10: आंगनवाड़ी केंद्रों का कवरेज सुनिश्चित किया जाए जिसके अंतर्गत् पूरे वर्ष के दौरान उन्हें बराबर–बराबर नियोजित किया जाए।
6.	सीएमएचओ के साथ डीपीओ द्वारा संयुक्त दौरा	प्रत्येक माह कम से कम 1 ब्लॉक और 2 आंगनवाड़ी केन्द्र
7.	जिला मजिस्ट्रेट/कलैक्टर (डीएम/डीसी)/एडीए में/योजना अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी	प्रत्येक 6 माह में कम से कम 15 आंगनवाड़ी केन्द्र (अधिमान्यतः ग्रामीण स्वास्थ्य और पोषण दिवसों पर) और 25: ब्लॉक।
8.	सीईओ/जिला परिषद अधिकारी (जहाँ आईसीडीएफ की जिम्मेदारी सौंपी गई हो)	प्रत्येक 6 माह में कम से कम 15 आंगनवाड़ी केन्द्र (अधिमान्यतः ग्रामीण स्वास्थ्य और पोषण दिवसों पर) और 25: ब्लॉक।

9.	नोडल अधिकारी (एम एण्ड ई)/ एमईएस),राज्य निदेशालय (जहाँ स्थित हैं)	प्रत्येक महीने कम से कम 10 आंगनवाड़ी केन्द्र और 2 ब्लॉक
10.	निदेशालय के अन्य अधिकारी	प्रत्येक महीने कम से कम 5 आंगनवाड़ी केन्द्र और प्रत्येक वर्ष 25: ब्लॉक (जिन्हें राज्य के सभी जिलों के बीच बराबर–बराबर नियोजित किया जाएगा)
11.	राज्य निदेशक (आईसीडीएस)	प्रत्येक तिमाही में कम से कम 20 आंगनवाड़ी केन्द्र और प्रत्येक वर्ष 10: ब्लॉक (जिन्हें राज्य के सभी जिलों के बीच बराबर–बराबर नियोजित किया जाएगा)
12.	राज्य सचिव (महिला बाल विकास) (जिसमें अवर सचिव से विशेष सचिव तक के अधिकारी शामिल हैं)	प्रत्येक वर्ष कम से कम 50 आंगनवाड़ी केन्द्र और 25 ब्लॉक (जिन्हें राज्य के सभी जिलों के बीच बराबर–बराबर नियोजित किया जाएगा)।
13.	खाद्य और पोषण बोर्ड की क्षेत्रीय इकाइयों (सीएफईएनयू) के अधिकारी	प्रत्येक माह 10 आंगनवाड़ी केन्द्र या यथा विनिर्धारित (जिन्हें राज्य के सभी जिलों के बीच बराबर–बराबर नियोजित किया जाएगा)
14.	एडब्ल्यूटीसी/एमएलटीसी के अनुदेशक	क्रमशः एडब्ल्यूटीसी/एमएलटीसी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुवर्तन के रूप में आंगनवाड़ी कर्मियों/पर्यवेक्षकों के प्रत्येक जॉब/पुनश्चर्या प्रशिक्षण के पूरा होने के दो महीने बाद 5 आंगनवाड़ी कर्मी/5 पर्यवेक्षक
15.	निपसेड के केन्द्रीय मानीटरिंग एकक (सीएमयू) द्वारा नियुक्त गृह विज्ञान कालेजों/चिकित्सा संस्थाओं के परामर्शी	सीएमयू के विषयानुसार किए गए करार के अनुसार
	ख. केन्द्रीय स्तर पर	
16.	महिला और बाल विकास मंत्रालय में आईसीडीएस एम एण्ड ई एकक के अधिकारी	प्रत्येक महीने 1 राज्य, प्रत्येक राज्य में 1 जिला, प्रत्येक जिले में 2 ब्लॉक, प्रत्येक ब्लॉक में 4 आंगनवाड़ी केन्द्रों का दौरा किया जाए।
17.	महिला और बाल विकास मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी (उप सचिव/निदेशक/ संयुक्त सचिव)	एक महीने में कम से कम एक राज्य 2–3 आंगनवाड़ी केन्द्र प्रति राज्य/ 1 जिला मुख्यालय/1 ब्लॉक कार्यालय
18.	निपसेड के संकाय (सभी क्षेत्रीय केन्द्रों सहित)	प्रत्येक तिमाही 2 राज्य (2 परियोजना और 2–3 आंगनवाड़ी केन्द्र, 1 एडब्ल्यूटीसी और 1 एमएलटीसी प्रति राज्य)
19.	खाद्य और पोषण बोर्ड (मुख्यालय) के अधिकारी	प्रत्येक महीने 1 राज्य (2–3 आंगनवाड़ी केन्द्र प्रति राज्य प्रति दौरा)

राज्य और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा आईसीडीएस ब्लॉकों और आंगनवाड़ी केन्द्रों के मानीटरिंग और पर्यवेक्षण दौरों के लिए जाँच–सूची।

राज्य स्तर के अधिकारियों के लिए

आईसीडीएस कार्यक्रम कार्यान्वयन के निम्नलिखित पहलुओं की अनुवीक्षा/परिवीक्षी स्थानीय दौरों के दौरान की जाएः–

i. अवसंरचना संबंधी सुविधा (भवन, पर्याप्त स्थान, टायलेट, अलग से बन्द रसोई और महिलाओं की स्वास्थ्य जांच के लिए स्थान) की उपलब्धता और आंगनवाड़ी केन्द्र में बिजली, पेयजल की आपूर्ति आदि की व्यवस्था
ii. (शिशु और वयस्क के लिए) कार्यशील तौल यंत्र और सभी बच्चों के लिए प्रगति चार्ट
iii. खाना पकाने के लिए बरतन–भाण्डे, पानी रखने के बरतन, दवाएं और पीएसईकिट, सभी निर्धारित रजिस्टर/रिपोर्टिंग फारमेट, मुद्रित रूप में, की उपलब्धता
iv. आंगनवाड़ी केन्द्रों के कामकाज में नियमितता और यह भी देखा जाए कि क्या आंगनवाड़ी कर्मी प्रत्येक दिन केन्द्र में उपस्थित रहते हैं या नहीं
v. क्या प्रत्येक महीने 25 दिन 3 से 6 साल के बच्चों को बिना रुकावट नाश्ता और गर्म पका अनुपूरक आहार दिया जाता है और गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और 6 से 36 महीने के बच्चों के लिए राशन घर लाओं की व्यवस्था की गई है?
vi. अनुपूरक आहार तैयार और वितरित करने या किसी अन्य विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था में स्वतः सहायता समूहों या किन्हीं महिला समूहों की संलग्नता
vii. क्या लाभग्राही अनुपूरक आहार के स्वाद और गुणवत्ता के पसंद करते हैं
viii. क्या निर्धारित कैलरी मापदण्डों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं? (सभी खाद्य और पोषण बोर्ड/राज्य और केन्द्र सरकार के अनुवीक्षकों द्वारा प्रमाणित कराया जाए
ix. क्या बच्चों की नियमित तौल ली जाती है (प्रगति चार्ट की जांच की जाए और कुछ नमूना बच्चों की उम्र और वजन का सत्यापन किया जाए और प्रगति चार्ट में किए गए रिकार्ड के अनुसार उनके पोषण स्तर की जांच की जाए)
x. क्या टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच नियमित आधार पर किया जाता है। पिछले 2 महीने का रिकार्ड देखा जाए)
xi. ग्रामीण स्वास्थ्य और पोषण दिवस का आयोजन। पर्यवेक्षक यह देखना चाहें कि वीएचएनडी के लिए ग्राम–वार सूक्ष्म योजना क्या है और वह ब्लॉक एवं जिला स्तर पर सीडीपीओ के पास उपलब्ध होनी चाहिए
xii. दौरे के दिन आंगनवाड़ी केन्द्र में उपस्थित बच्चों की संख्या जिन्हें अनुपूरक आहार प्राप्त हुआ एवं रजिस्टर पर दर्ज कुल बच्चों की संख्या (इस संख्या की तुलना पिछले एक सप्ताह की औसल संख्या से की जाए)
xiii. ऐसे बच्चों की संख्या जिन्होंने दौरे के दिन आंगनवाड़ी केन्द्र में स्कूलपूर्व शिक्षा प्राप्त की (आंगनवाड़ी कर्मियों द्वारा कौन–कौन से कार्यकलाप किए गए)। इस संख्या को कुल पंजीकृत बच्चों की तुलना में देखा जाए
xiv. क्या आंगनवाड़ी केन्द्र को समुदाय की ओर से कोई सहयोग प्राप्त हो रहा है। यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं? (कुछेक ग्राम समितियों/पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों से चर्चा की जाए)
xv. क्या आंगनवाड़ी कर्मी गर्भावस्था, शिशु की देखभाल या बच्चों के बीमार होने जैसे कठिन परिस्थितियों के लिस सम्पर्क अवधि के दौरान नियमित रूप से घरों में जाकर माताओं और उनके परिवारों को सलाह देते हैं। (इसकी पुष्टि के लिए ऐसे ही कुछ परिवारों से मिलकर बात की जाए और उनसे हुई बात को रिकार्ड किया जाए)
xvi. आंगनवाड़ी केन्द्र के कामकाज के बारे में समुदाय की सामान्य अवधारणा/क्या विगत 2–3 वर्षों के दौरान कोई सुधार हुआ है
xvii. यदि कोई सुझाव हो तो उसे लिखें

केन्द्रीय स्तर के अधिकारियों के लिए

उपर्युक्त जांच सूची के अलावा, केन्द्रीय मंत्रालय के अधिकारी निम्नलिखित कुछेक बिंदुओं को राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ उठाएंगेः–

i. नए ब्लॉकों और आंगनवाड़ी केन्द्रों को कार्यशील किए जाने की स्थिति
ii. राज्य और जिला स्तर पर आईसीडीएस का संगठनात्मक ढांचा (कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी पहलू, रिक्तियाँ, रिक्तियाँ भरने की समय–सीमा और प्रक्रिया, क्या आईसीडीएस अधिकारियों का अलग संवर्ग है, आदि)
iii. आंगनवाड़ी कर्मियों/पर्यवेक्षकों/सीडीपीओ के लिए प्रोन्नति के अवसर
iv. आंगनवाड़ी केन्द्रों/ब्लॉकों के नियमित समीक्षा और मानीटरिंग दौरे के मानीटरण हेतु तंत्र
v. सरकार से निदेशालय से जिला/ब्लॉक/आंगनवाड़ी केन्द्र तक धन पहुंचने की व्यवस्था प्रत्येक स्तर पर कितना समय लगता है

vi. प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक स्तर पर भारत सरकार के निर्धारित वित्तीय/संपोषण मानदण्डों का अनुसरण

vii. आंगनवाड़ी केन्द्र की अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए राज्य की योजना (दूसरे कार्यक्रमों/विभागों से संसाधनों का उपयोग)

viii. स्वास्थ्य तथा अन्य संबंधित विभागों के साथ प्रभावी संकेन्द्रण के लिए तंत्र

गेहूँ आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यू बी एन पी) के अंतर्गत् खाद्यान्न उठाने की व्यवस्था और उसका उपयोग आदि।

रिपोर्ट करना और प्रतिपुष्टि प्राप्त करना

- डीपीओ स्तर तक के प्रत्येक अधिकारी एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करेंगे
- पर्यवेक्षक और सीडीपीओ/एसीडीपीओ अपनी संबंधित मासिक/तिमाही प्रगति रिपोर्टों में अपने स्थानीय दौरों के निष्कर्षों का उल्लेख करेंगे
- स्थानीय दौरों के निष्कर्षों पर सैक्टर/ब्लॉक/जिला/राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकों में चर्चा की जाएगी।
- राज्य निदेशालय की प्रत्येक तिमाही के अंत में स्थानीय दौरों के महत्वपूर्ण निष्कर्षों को जिले–वार समेकित करने और उसे भारत सरकार को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी होगी।
- केन्द्रीय स्तर के अधिकारी महत्वपूर्ण कारकों का विश्लेषण करके राज्य–विशिष्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे

आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यकलापों के मानीटरण में पंचायती राज संस्थाओं की संलग्नता

- आंगनवाड़ी केन्द्रों के कामकाज में नियमितता
- अनुपूरक आहार में नियमितता, उसकी गुणवत्ता और समुदाय द्वारा स्वीकृति
- सभी परिवारों और पात्र लाभग्राहियों को कवर किया जाना
- बच्चों की नियमित तौल
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा आईएफए, विटामिन 'ए' और डि–वार्मिंग औषधि की नियमित आपूर्ति
- स्वास्थ्य विभाग और आईसीडीएस ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों के बीच मासिक संयुक्त बैठकों का आयोजन
- ग्रामीण स्वास्थ्य और पोषण दिवस (वीएचएनडी) का मासिक आधार पर आयोजन
- आंगनवाड़ी केन्द्र पर विनिर्धारित रिकार्ड और रजिस्टर का उपलब्ध होना
- आंगनवाड़ी कर्मियों और आंगनवाड़ी हेल्परों को मानदेय के नियमित भुगतान की मानीटरिंग
- आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण और उसका रख–रखाव
- आईसीडीएस सेवा सुपुर्दगी में लोगों को भागीदारी के लिए प्रेरित
- राज्य राज्य पंचायती राज संख्या विभाग के परामर्श से समुचित रिपोर्टिंग तंत्र बना सकता है

12वीं योजना के दौरान निम्नलिखित नए पहल आरम्भ की जाएगी

- आंगनवाड़ी केन्द्र/सेक्टर स्तर पर तीसरे पक्ष द्वारा आंकड़ों की प्रविष्टि की व्यवस्था सेवाओं और लाभग्रहियों से संबंधित सभी सूचनाएं और आंकड़े आंगनवाड़ी केन्द्र पर एकत्र किए जाएंगे
- ऊपर तैयार की गई रूप रेखा के अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्र के ऊपर के सभी स्तरों पर इन आंकड़ों का समेकन किया जाएगा और विश्लेषण किया जाएगा और प्रत्येक स्तर से संबंधित आंकड़ों को जोड़ा जाएगा आदर्श स्थिति यह होगी कि आंगनवाड़ी केन्द्रों पर प्रत्येक मास सृजित आंकड़ों को कम्प्यूटर पर इलैक्ट्रोनिकली प्रविष्ट किया जाए और इन आंकड़ों का रख रखाव आवश्यक रूप से राज्य महिला एवं बाल विकास और/या एनआईसी/महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के केन्द्रीकृत सर्वर पर किया जाए
- इस उद्देश्य के लिए खण्ड/जिला स्तर पर प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र की रिपोर्ट को 10 रुपये प्रति रिपोर्ट की दर से पूर्व डिजाइन्ड वैब इलैबल्ड सॉफ्टवेयर के माध्यम से मासिक आंकड़ों को प्रविष्ट कराने को आउटस्रोस के प्रबंधन की अनुमति होगी।
- पोषण संसाधन मंच के माध्यम से आईवीआर आधारित मानीटरिंग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निपसिड, नई दिल्ली में एक पोषण संसाधन मंच की स्थापना की है। इसके लिए सीएआरई/यूएसएआईडी से उसके आईएनएचपी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सहायता प्राप्त हुई है।
- इस मंच का उद्देश्य पोषण और बाल विकास पर उपचारित पारस्परिक ज्ञान संसाधन का सृजन करना है। पोषण संसाधन मंच सूचनाओं के आदान प्रदान और संदेशों का विस्फोटन को शामिल करते हुए पोषण पर डिजीटल संसाधन के रूप में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त इस मंच में आंकड़ों को एकत्र करने के तत्र की सुविधा भी

उपलब्ध होगी जो पारस्परिक वाइस रिस्पांस प्रणाली पर आधारित होगी। आंगनवाड़ी केन्द्रों के साथ आईसीडीएस कार्यकर्ताओं के बीच संचार/संपर्क में सुधार के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सिम के साथ मोबाइल फोन उपलब्ध करवाया जाएगा।

आईसीडीएस मिशन के तहत सभी स्तरों पर वित्तीय और मानव संसाधनों दोनों का पर्याप्त आवंटन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि आंकड़ों के प्रवाह में बढ़ोतरी, आईसीडीएस मिशन से संबंधित नीति निर्णयों की सूचना के लिए विश्वसनीय और जांच किए जाने योग्य उपलब्ध आंकड़ें के लिए आईसीडीएस मिशन के कार्यन्वयन को मजबूत बनाया जा सके। आईसीडीएस मिशन के तहत मानीटरिंग, को मजबूत बनाने, मूल्यांकन की समीक्षा करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत राष्ट्रीय आईसीडीएस मिशन निदेशालय द्वारा तैयार किए जाएंगे।